

क्र.	वृत्त या कार्यवाही मस लघुतयावर जण	मास व तारीख आवकाम पी.डी. वृत्त की तारीख से जारी हुए
२५ १३	<p>पत्रावली पेशा कुर्बे। मुकुलाम उपस्थितता संकेत                      से बढत मुकुलाम उत्राय पक्ष पुनी नई। दोसरे                      बढत वकील प्राधीगण ने आपने प्राधीगण                      में अंतिम तयों को दोहराते हुए तहसीलदार                      जखेला द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित ११-                      ०५-२०१३ की मद्. सं. २ में परिवर्तनानुसार                      शान्त आपस करने का निवेदन किया। वकील                      प्राधीगण की बढत से जमाना में वकील अग्रणी                      संगत ने निवेदन किया कि प्राधीगण को                      वैकल्पिक शान्त उपलब्ध है। अतः प्राधीगण                      का प्राधीगण पर मध्यम जोरिण प्रस्ताव जाये।</p> <p>पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध                      शान्त व रेकर्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार जखेला                      का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट                      तहसीलदार जखेला प्राधीगण को प्रा-तावित शान्त                      के अतर अपनी कृषि जमीन आवागम हेतु                      वैकल्पिक शान्त उपलब्ध है। धारा २५(१)                      राज. काश्तकारी अधिनियम, १९५५ का मूल                      उद्देश्य काश्तकार को अपनी कृषि जोत                      तक पंक्त्य मार्ग उपलब्ध नही होने पर निर-                      लभ एवं लघुतम शान्त काश्तकार को उपल-                      कराना है। चूंकि हानतगत प्रकृश में प्राधी-                      गण को अपनी कृषि जोत में पंक्त्य हेतु                      वैकल्पिक शान्त उपलब्ध है। वैकल्पिक शान्त                      उपलब्ध होने की वशा में प्राधीगण का प्रा-                      पत्र धारा २५(१) राज. काश्तकारी अधि-                      नियम, १९५५ के तहत पोषणीय नही है।                      अतः प्राधीगण का प्राधीगण-पत्र जोरिण किया                      जाना है। पत्रावली प्रेषण सुमार दोहरा नए                      से कम हो नए वाद तहसील दायित्व प्रप-नर है।                      निर्णय प्रथम न्यायालय में मुनाया गया।</p>	

पुनः  
 १३/५/१३

११/५/१३